कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद)।

पत्रांक 160 /न0पा0 /2018 दिनांक 05 मार्च. 2018

-:विज्ञप्तिः-

"नगर पालिका परिषद, मोदीनगर को "खुले में शौच से मुक्त" किये जाने की घोषणा एवं आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रण की सार्वजनिक सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद मोदीनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कुल 19 वार्डो (वार्ड संख्या– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26) की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 22.01.2018 के प्रस्ताव सं0 17 द्वारा खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके है। उक्त वार्डो को छोडकर अवशेष 07 वार्ड (वार्ड संख्या– 13, 14, 17, 19, 20, 21 व 23) को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।

नगर पालिका परिषद मोदीनगर के उपरोक्त अवशेष 07 वार्डो को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) से सम्बन्धित किसी को कोई आपत्ति/सुझाव है तो इस विज्ञप्ति के जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में निकाय कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, आप द्वारा प्रेषित आपत्ति/सुझावों पर कार्यवाही कराकर नगर पालिका परिषद मोदीनगर के उपरोक्त वार्डो को खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित कर दिया जायेगा।

(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी

(अशोक माहेशवरी)
अध्यक्ष

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अंकित गोयल, कम्प्यूटर प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को नगर पालिका की वेबसाइट www.mppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, मोदीनगर व चमकता युग, मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 02 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर पालिका परिषद मोदीनगर, के नोटिस बोर्ड पर चसपा हेतु।

05-03-18
(अनुज कौशिक)
अधिशासी अधिकारी